



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222556
CG-DL-E-19102020-222556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020

आ. अ. 33(अ).—आयोग के आदेश सं. 3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर/खण्ड-II दिनांक 14 अक्तूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद स. (iii) में 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड' के स्थान पर 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' को प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. 3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर/खण्ड-II]

आदेश से,
एन.टी.भूटिया, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th October, 2020

O.N. 33(E).—In the Hindi Version of the Commission's Order No.3/4/ID/2020/SDR/VOLII Dated 14th October, 2020 under item no.(iii) of the Para 7 for the phrase 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड' the phrase 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' shall be substituted.

[No.3/4/ID/2020/SDR/VOLII]

By order,
N.T.BHUTIA, Secy

5034 GI/2020